भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *250

दिनांक 10 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

***250 श्री अ. मनि:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) की शुरुआत से इसके अंतर्गत स्वीकृत, अनुमोदित और संचालित परियोजनाओं के लाभार्थियों का श्रेणी-वार और सहायता-प्रदत्त कार्यकलापों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने धर्मापुरी जिले में, जो मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान और सूखा प्रवण क्षेत्र है जहाँ छोटे और सीमांत किसानों के लिए पशुधन आधारित आजीविका अत्यंत महत्वपूर्ण है, उक्त योजना की पहुंच का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जागरूकता की कमी, राजसहायता जारी करने में विलंब, क्रेडिट लिंकेज संबंधी समस्याएं और पशु चिकित्सा से संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी जैसी बाधाओं के कारण धर्मापुरी जिले में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा धर्मापुरी जिले में बैंकों, पशुपालन सेवाओं और बाजार संपर्कों के साथ समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का धर्मापुरी जिले में राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुधन संबधी उद्यमिता का विस्तार करने के लिए किन्हीं विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं" विषय संबंधी दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 250 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, पूंजी लागत का 50%, अधिकतम ₹50.00 लाख तक की पूंजी सब्सिडी सीधे लाभार्थी को दी जाती है। लाभार्थी बाकी राशि बैंक लोन (जिसमें कम से कम 10% अपनी हिस्सेदारी अनिवार्य है) या अपनी स्वयं की पूंजी से जुटाता है । अब तक धर्मपुरी जिले में दो भेड़ और दो बकरी परियोजनाएँ (कुल 4 परियोजनाएँ) मंजूर की गई हैं। इनकी कुल स्वीकृत परियोजना लागत ₹161 लाख है। कुल स्वीकृत पूंजी सब्सिडी ₹72.31 लाख है। सभी परियोजनाएँ व्यक्तिगत लाभार्थियों को दी गई हैं। इनमें से एक परियोजना पूरी हो चुकी है और उसे कुल ₹42.07 लाख की दोनों किस्तों की सब्सिडी मिल चुकी है। दो परियोजनाओं को ₹9.15 लाख की पहली किस्त मिल चुकी है। एक परियोजना को अभी तक कोई सब्सिडी नहीं मिली है क्योंकि उसने आवश्यक शर्तें अभी तक पूरी नहीं की हैं।

(ख) केंद्र सरकार, धर्मापुरी जिले सहित पूरे भारत में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इनमें सेमिनार, प्रचार अभियान और आउटरीच कार्यक्रमोंका आयोजन शामिल हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत, तमिलनाडु सरकार को 2025-26 के दौरान, राज्यव्यापी जागरूकता और प्रचार के लिए ₹25 लाख जारी किए गए हैं । "वेत्री निचायम" पहल के तहत धर्मपुरी जिले में 22 पशुपालकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

(ग) यह योजना मांग-आधारित और पूरी तरह से डिजिटल है। लाभार्थियों द्वारा आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाते हैं और दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उनकी व्यवहार्यता और बैंकों द्वारा आर्थिक सम्भवता की जांच की जाती है। भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य सरकार से ऑनलाइन पोर्टल माध्यम से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान करता है। इस पारदर्शी प्रक्रिया के लिए, योजना सुचारू रूप से चल रही है।

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) को इस निम्नलिखित तरीके से कार्यान्वित किया जाता है।:

i. सबसे पहले आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करता है। राज्य सरकार उस आवेदन को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के नियमों के अनुसार मूल्यांकन करती है। सही पाए जाने पर आवेदन बैंक को ऋण मंजूरी के लिए भेजा जाता है।

ii. बैंक अपने मानदंडों के अनुसार प्रस्ताव की जांच करने के बाद ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद आवेदन डीएएचडी के पास आता है। डीएएचडी द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, बैंक स्वीकृत ऋण का 25% जारी करता है। लाभार्थी परियोजना शुरू करता है, वितरित ऋण राशि और 10% मार्जिन मनी का उपयोग करता है। (स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में परियोजना लागत का 25%)। राज्य सरकार फिर निरीक्षण करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। डीएएचडी सब्सिडी की पहली किस्त जारी करता है, बशर्ते दस्तावेज सही पाए जाएं। जब योजना पूरी हो जाती है और राज्य सरकार इसकी पुष्टि करती है, तब सब्सिडी की दूसरी किस्त दी जाती है।

iii. पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा राज्य सरकार और बैंकों के साथ करती रहती है, ताकि बैंक और पशुपालन सेवाओं के साथ बेहतर तालमेल हो सके। भारत सरकार सचिव के अध्यक्षता में केंद्रीय स्तर पर भी बैंकिंग समिति बनाई गई है, जो की बैंक में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करती है।

iv. विभाग राज्य सरकार के साथ बैठक और बातचीत भी करता है, ताकि परियोजनाओं के लिए मार्केट लिंक बनाया जा सके।

(ङ) यह योजना मांग-आधारित है और पूरे देश में समान रूप से लागू होती है।

****